

विषय:- जनपद सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, सोनभद्र भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (एल0डब्लू0ई0) के अन्तर्गत चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम मार्ग किमी0 0.000 से 20.600 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु कुल 15.5670 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग के अनुमति हेतु प्रस्ताव।

उ0प्र0 शासन के पत्रांक VIP-23/14-2-2019-190G/2018 Dt. 28-06-2019
सम्बन्धी प्रमाण पत्र

“प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु जनपद सोनभद्र, तहसील-ओबरा, ग्राम - जोगईल, परगना-अगोरी के अन्तर्गत निम्नानुसार प्रस्तावित की गयी कुल 15.5670 हे0 भूमि निर्विवाद रूप से गैर वन भूमि है एवं इसका शासनादेश संख्या-वी0आई0पी0-23/14-2-2019-190 जी/2018, दिनांक 28.06.2019 के प्रस्तर-2 में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार परीक्षण कर लिया गया है।”

क्र०सं०	प्रभावित वन भूमि हस्तानान्तरण हेतु प्रस्तावित मार्ग।	प्रस्तावित मार्ग हेतु कुल वांछित वन भूमि (हे० में)	समतुल्य गैर वन भूमि प्रस्तावित		
			तहसील/परगना/राजस्व ग्राम का नाम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)
1	चोपन महलपुर रोड से परसोई वाया खेवन्धा चकारी ओबरा डैम मार्ग किमी० 0.000 से 20.600 लम्बाई — 20.600 किमी०	15.5670	ओबरा/अगोरी/जोगईल	5380 ख	8.1820 हे० में से 2.4353 हे०
				5381 मि	0.9920 हे० में से 0.3461 हे०
				5382 क	12.1400 हे० में से 10.9227 हे०
				5384	0.9920 हे० में से 0.5411 हे०
				5385 ख	1.4540 हे० में से 1.3218 हे०
योग					15.5670

उपजिलाधिकारी,
ओबरा, सोनभद्र।

Tah. (o)
तहसीलदार
ओबरा, सोनभद्र

प्रभागीय वन अधिकारी
ओबरा वन प्रभाग
ओबरा-सोनभद्र

उप-प्रभागीय वन अधिकारी
ओबरा
ओबरा वन प्रभाग सोनभद्र

क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेंज-जुगैल
ओबरा-सोनभद्र

(प्रमाणित किया जाता है)
चपन

सिद्धांत

Rampers
R. 1. 12

Arus
R. 1. 12

48

R